दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/07/2015 की कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एच.एस. शुक्ला	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 लाल जी त्रिपाठी	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 पी.सी. शुक्ला	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
6.	प्रो0 अंजनी कुमार सिंह	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
7.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8.	डॉ0 रमेश बाबू सोलंकी	प्राचार्य, किसान पी0जी0 कालेज, सेवरही, कुशीनगर	सदस्य
9.	डॉ0 नरेन्द्र प्रकाश राय	प्राचार्य, बुद्ध पी0जी0 कालेज, कुशीनगर	सदस्य
10.	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ शिक्षक, महाविद्यालय	सदस्य
11.	डॉ0 विश्वदीपक	वरिष्ठ शिक्षक, महाविद्यालय	सदस्य
12.	प्रो0 अमरेन्द्र कुमार मिश्र	विभागाध्यक्ष, विधि	विशेष आमंत्रित
13.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कुलपति जी ने नये सदस्यों के साथ–साथ अन्य सदस्यों का भी स्वागत करते हुए परीक्षा समिति के जिन सम्मानित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। उनके प्रति आभार प्रकट किया।

कार्यवृत्त –

(1) परीक्षा समति की बैठक दिनांक 26/03/2015 एवं परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29/06/2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार–
निर्णय–समिति ने परीक्षा समति की बैठक दिनांक 26/03/2015 एवं परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 29/06/2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की।

(2) सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में दिनांक 22/05/2015 को विधि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के समय हुयी घटना के क्रम में प्राचार्य द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में आख्या हेतु गठित समिति के क्रम में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की आख्या/संस्तुतियों पर विचार।
निर्णय– सन्त विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया में दिनांक 22/05/2015 को विधि प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के समय हुयी घटना के क्रम में प्राचार्य द्वारा माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत रिपोर्ट के आलोक में आख्या हेतु गठित समिति के क्रम में अधिष्ठाता, विधि संकाय एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग की आख्या/संस्तुतियों पर विस्तृत चर्चा करते हुए संस्तुतियों को आंशिक संशोधन के साथ निम्न रूप में स्वीकार किया गया–

I. **श्री विशाल पाण्डेय पुत्र श्री विजय नारायण पाण्डेय एवं श्री तुषाकान्त पाण्डेय पुत्र श्री अनिल कुमार पाण्डेय का विश्वविद्यालय के परीक्षाओं से दो वर्ष के लिए वंचित किया जाय साथ ही महाविद्यालय को इन दोनों छात्रों को महाविद्यालय से निष्कासन हेतु लिखा जाय।**

II. **जिन 11 छात्रों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गयीं/गायब रहीं एवं जिन 6 छात्रों की उत्तरपुस्तिकाएं बाद में बरामद हुईं इन समस्त छात्रों (11 + 6 = 17) को औसत अंक प्रदान कर दिया जाय।**

III. **सन्तविनोबा महाविद्यालय, देवरिया की विधि प्रथम वर्ष–2015 (प्रथम सेमेस्टर) की ट्यूटोरियल मौखिक परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर सम्पन्न करा ली जाय।**

(3) प्रवेश समिति की बैठक दिनांक–01/04/15 के बिन्दु 1(घ) में दिवाकर नाथ पाण्डेय, पुत्र–रविन्द्रनाथ पाण्डेय के एम0ए0 (इतिहास) सत्र–2001, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर के प्रवेश, अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त के प्रकरण पर प्रवेश समिति के निर्णय पर विचार।

(प्रवेश समिति का निर्णय– "सम्यक विचारोपरान्त प्रवेश समिति ने श्री दिवाकर नाथ पाण्डेय पुत्र श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय के एम0ए0 इतिहास सत्र 2001, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रवेश, अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त करने के प्रकरण पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि चूंकि पाण्डेय ने वर्ष–2001 में एम0ए0 इतिहास के नियमित छात्र रहते हुए विधि वर्ष–2001 में भी प्रवेश लिया है अतः विश्वविद्यालय के अध्यादेश में दिये गये प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष में दो उपाधि नहीं प्राप्त की जा सकती इसलिए श्री पाण्डेय के एम0ए0 इतिहास वर्ष–2001 के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के प्रवेश को निरस्त करते हुए उनके एम0ए0 प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के अंकपत्र एवं उपाधि को निरस्त करने हेतु परीक्षा समिति को सन्दर्भित किया गया।")

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से प्रवेश समिति की बैठक दिनांक–01/04/15 के बिन्दु 1(घ) में दिवाकर नाथ पाण्डेय, पुत्र–रविन्द्रनाथ पाण्डेय के एम0ए0 (इतिहास) सत्र–2001, बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुशीनगर के प्रवेश, अंकपत्र एवं उपाधि निरस्त के प्रकरण पर प्रवेश समिति के निर्णय को स्वीकार किया।

(4) राजू कुमार, पुत्र–श्री प्रभु प्रसाद बी0एस–सी0 (एजी0) तृतीय वर्ष सत्र–2014 अनु0–7157740055 को चतुर्थ प्रश्नपत्र में 55 अंक मिला है जबकि पूर्णांक 50 का होता है, अभ्यर्थी ने अपने अंक की मांग की है। उ0पु0 भण्डार कक्ष की रिपोर्ट है कि बण्डल मिल नहीं रहा है के सन्दर्भ में विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रश्नपत्र में औसत अंक प्रदान कर दिया जाय।

(5) विधि तृतीय सेमेस्टर, वर्ष–2014 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की छूटी ट्यूटोरियल की परीक्षा कराने के सन्दर्भ में पर अधिष्ठाता विधि की संस्तुति के क्रम में कार्योत्तर अनुमोदन पर विचार।(कु0 स्वाती सिंह के प्रत्यावेदन के क्रम में)

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से विधि तृतीय समेस्टर वर्ष–2014 की छूटी ट्यूटोरियल परीक्षा कराये जाने का कार्योत्तर अनुमोदन किया।

(6) परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–09/05/14 अध्यक्ष की अनुमति के बिन्दु (ड.) पर उ0पु0 का परिनिरीक्षण (Scrutini) एवं जन सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत उ0पु0 देखने के सम्बन्ध में समय निर्धारण का प्रकरण रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि–

निर्णय– समिति ने यह भी निश्चय किया कि प्रत्येक कक्षा के अंकतालिका के पीछे निम्नांकित सूचना मुद्रित कराया जाय।

(क) परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिनिरीक्षण (स्क्रूटनी) के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(ख) जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर पुस्तिका देखने हेतु अंकतालिका प्राप्त होने के एक माह के अन्दर आवेदन किया जा सकता है।

उपरोक्त लिए गये निर्णय के बिन्दु ख में दर्ज शब्द "अंक तालिका प्राप्त" के स्थान पर "परीक्षाफल घोषित होने की तिथि" दर्ज करने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि "अंक तालिका प्राप्त" के स्थान पर "परीक्षाफल घोषित होने की तिथि" अंकित किया जाय।

(7) महाविद्यालयों द्वारा वेबसाइट से भरे गये परीक्षाफार्मों के सापेक्ष निर्गत शुल्क चालान में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण जहाँ अधिक धनराशि जमा हो गयी है, अधिक जमा धनराशि के वापसी के संम्बन्ध में विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि महाविद्यालयों द्वारा वेबसाइट से भरे गये परीक्षाफार्मों के सापेक्ष निर्गत शुल्क चालान में किसी प्रकार की त्रुटि होने के कारण जहाँ अधिक धनराशि जमा हो गयी है, अधिक जमा धनराशि का समायोजन कर लिया जाय।

(8) प्रबन्धक, बाबू जंगी सिंह महा0 बढ़या चौक, पीपीगंज, गोरखपुर ने पत्र दिनांक 26/04/12 एवं 02/05/12 के द्वारा बी0ए0 भाग एक सत्र–2011–12 में जमा शुल्क के वापसी की मांग पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से प्रकरण को आगामी परीक्षा समिति में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

(9) श्रीमती पुष्पा गुप्ता पति श्री पवन कुमार गुप्ता एम0ए0 भाग एक एवं दो विषय समाज शास्त्र, वर्ष 2009–10 केन्द्र रामगुलाम राय पी0जी0 कालेज बनकटा शिवसल्लपुर, देवरिया ने अपने अंकतलिका से पति का नाम पवन कुमार गुप्ता हटाकर पिता का नाम जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता अंकित करने का अनुरोध किया है नाम परिवर्तन पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि श्रीमती पुष्पा गुप्ता पति श्री पवन कुमार गुप्ता(जिनका अपने पति से विवाह–विच्छेद हो चुका है) एम0ए0 भाग एक एवं दो विषय समाज शास्त्र,

वर्ष 2009–10 केन्द्र रामगुलाम राय पी0जी0 कालेज बनकटा शिवसल्लपुर, देवरिया ने अपने अंकतलिका से पति का नाम पवन कुमार गुप्ता हटाकर पिता का नाम जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता अंकित कर दिया जाय।

(10) कलावती देवी पत्नी राधेश्याम यादव अनुक्रमांक 8484 बी0एड0 वर्ष–1983 अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ के विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में W अंकित है जबकि महाविद्यालय के सारणीयन पंजिका में W अंकित नहीं है के उपाधि निर्गत करने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13/02/2015 के बिन्दु संख्या 12 में समिति ने निर्णय लिया था कि मूल अंकतालिका का परीक्षण करा लिया जाय प्राचार्य के पत्र दिनांक 27/04/2015 के द्वारा आख्या प्राप्त हो गई है। प्राचार्य के द्वारा प्राप्त आख्या पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि कलावती देवी पत्नी राधेश्याम यादव अनुक्रमांक 8484 बी0एड0 वर्ष–1983 अग्रसेन महिला महाविद्यालय आजमगढ़ के विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका से W हटाकर उपाधि निर्गत कर दी जाय।

(11) (अ) आगामी परीक्षा वर्ष 2016 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर केन्द्राध्यक्ष बनाये जाने पर विचार (पूर्व परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 26/03/2015 की बैठक में आगे की बैठक में रखने हेतु निर्णय लिया)

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि परीक्षा वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर आवश्यकतानुसार केन्द्राध्यक्ष बनाये जायं।

(ब) वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं के मूल्यांकन के क्रम में केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र पर अनुभवी सेवानिवृत्त शिक्षकों से समन्वयक/सहायक समन्वयक आदि के रूप में सेवा लेने पर विचार।

निर्णय– समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि वार्षिक परीक्षा एवं सेमेस्टर परीक्षाओं में सेवा निवृत्त शिक्षकों को समन्वयक/सहायक समन्वयक दिनांक 31/07/2015 के उपरान्त न बनाया जाय।

(12) "राष्ट्रगौरव पर्यावरण एवं मानवाधिकार" तथा **प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान** के वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र **(बहुविकल्पीय)** प्राश्निकों के दर निर्धारण के सम्बन्ध में–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से विश्वविद्यालय में आयोजित प्रवेश परीक्षा की दर को उपरोक्त विषयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (बहुविकल्पीय) प्राश्निकों के दर हेतु स्वीकृति प्रदान की।

(13) सत्र 2015–16 में स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में **प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान** कुल छः विषयों के प्रथम प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (बहुविकल्पीय) परीक्षा कराये जाने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से सत्र 2015–16 में स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में प्राचीन इतिहास, इतिहास, समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान कुल छः विषयों के प्रथम प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र (बहुविकल्पीय) परीक्षा कराने का निर्णय लिया।

(14) संदीप यादव सत्र–2010 में परिसर में संचालित विधि पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेशित होकर वर्ष–2012 में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुआ प्रार्थी के परीक्षाफल में बैक लग गया। पुनः छात्र ने बैक पेपर की परीक्षा दिया जिसका परिणाम 01 फरवरी, 2014 को घोषित हुआ जिसमें री–बैक आ गया। सत्र अनियमित होने के कारण छात्र को जानकारी नहीं मिल पायी जिसके कारण परीक्षा से वंचित होना पड़ा और तृतीय सेमेस्टर का परीक्षाफल रोक दिया गया। प्रार्थी के तृतीय सेमेस्टर की री–बैक की परीक्षा में बैठने पर विचार। **(संकायाध्यक्ष की आख्या पत्रावली में संलग्न है।)**

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित छात्र का विशेष परिस्थिति में बार काउन्सिलिंग के नियमों के अधीन परीक्षा करा ली जाय तथा इसे नज़ीर न माना जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

1. प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 10/07/2015 के निर्णयानुसार बी0पी0एड0 वर्ष 2013–14 की परीक्षा हेतु प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह छात्रों की सूची के अनुसार परीक्षा कराये जाने पर विचार–

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 10/07/2015 के निर्णयानुसार बी0पी0एड0 वर्ष 2013–14 की परीक्षा हेतु प्रवेश समिति द्वारा अनुमोदित अर्ह छात्रों की सूची के अनुसार परीक्षा करा ली जाय।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कुछ परीक्षार्थियों का परीक्षाशुल्क (चालान पर) जमा न होने के कारण कतिपय महाविद्यालय के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के परीक्षार्थियों का परीक्षाफार्म/नामिनल रोल की हार्ड कापी विश्वविद्यालय को अप्राप्त है लेकिन अन्य वर्ग के परीक्षार्थियों जिनका परीक्षाशुल्क चालान पर जमा है व परीक्षाफार्म/नामिनल रोल की हार्ड कापी विश्वविद्यालय को प्राप्त है ऐसे महाविद्यालयों के समस्त छात्रों के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाशुल्क एवं नामिनल रोल जमा है उन छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय अन्य पर W1/W2 लगा कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

3. विश्वविद्यालय अध्यादेश (Ordinance) में परीक्षा समिति के गठन के बिन्दु सख्या–9 में प्रावधानित व्यवस्था "Such other teachers not exceeding two in number as may be co-opted **by the examination committee** to serve as members of the committee for a period of one year" के क्रम में परीक्षा समिति में दो सम्मानित को–आप्ट सदस्यों के मनोयन पर विचार–

निर्णय–समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मत्ति से इसे स्थगित रखने का निर्णय लिया।

4. पूनम मद्धेशिया बी0ए0 तृतीय वर्ष अनुक्रमांक 39507 की परीक्षा वर्ष 2002 में बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से उत्तीर्ण की हैं प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में प्रभारी अभिलेख कक्ष ने अवगत कराया है कि सारणीयन पंजिका से वह पृष्ठ गायब है। जिस पर यह अनुक्रमांक दर्ज होना चाहिए। इसके लिए अधीक्षक, परीक्षा गोपनीय को पर्ण उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया गया था लेकिन उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण 13 वर्ष पुराना होने के कारण काफी खोजने के बाद भी पर्ण नहीं मिला, उपरोक्त प्रकरण पर विचार–

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि–

I. महाविद्यालय से भी अभिलेख (सारणीयन पंजिका) की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर लिया जाय।

II. ई0डी0पी0 सेल से वर्ष–2002 का अंक प्रमाणित करा कर पूरे पृष्ठ के अनुक्रमांकों का विवरण सहित अंक प्राप्त करा लिया जाय।

5. चिकित्सा संकाय के छात्र डॉ0 जयन्त शर्मा के पिता का नाम श्री गजेन्द्र पाल शर्मा के नाम के स्थान पर श्री गजेन्द्र पाल सिंह अंकित हो गया है इसे सुधार कर सही नाम अंकित करने के क्रम में बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के प्राचार्य की अभिलेखों के आधार पर नाम संशोधन की संस्तुति पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से प्राचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के संस्तुति के क्रम में नाम संशोधन की स्वीकृति प्रदान की।

अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियन्त्रक

कुलपति